प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

बुक नं0

1. जिला जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0 नि0ब्यूरो जयपुर वर्ष 2023
   प्र0इ0रि0सं0.........171..../2023 दिनांक 05.07.2023
   (I) धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 एवं धारा 12, 13(1)(बी) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट (संशोधित) 2018
   (II) अधिनियम...धाराऐं ....
   (III) अधिनियम...धाराऐं....................................
   (IV) अन्य अधिनियम एवं धाराऐं..
2. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या.................617..........समय.....2 P.M.
   (ब) अपराध घटने का दिन..........................दिनांक..........................समय.......
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक..................................समय.......
3. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक लिखित
4. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी करीब
   (ब) पता – ....
   ....बीट संख्या..............................जरायमदेही सं.
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो........
   पुलिस थाना...जिला...
5. परिवादी/सूचनाकर्ता :–**सूत्र सूचना**
   (अ) नाम –
   (ब) पिता/पति का नाम
   (स) जन्म तिथि/वर्ष...
   (द) राष्ट्रीयता..
   (य) पासपोर्ट संख्या.. जारी होने की तिथि..........
   जारी होने की जगह...
   (र) व्यवसाय...
   (ल) पता –
6. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :–
   1. श्री चौबेलाल मीणा पुत्र श्री रामभरोसी मीणा निवासी सानेट का पुरा हिन्डौन करौली हाल सी–37 मदर टेरेसा नगर जगतपुरा जयपुर हाल उपायुक्त, विदेश मंत्रालय और कर अनुपालन – II (मुख्यालय), जयपुर
   2. श्रीमती उमा देवी मीणा पत्नी चौबेलाल मीणा निवासी सानेट का पुरा हिन्डौन करौली हाल सी–37 मदर टेरेसा नगर जगतपुरा जयपुर व अन्य
7. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :– कोई विलम्ब नही
8. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
9. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य
10. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)..
11. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाऐं) :–

महोदय,

विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी श्री चौबेलाल मीणा (PAN NUMBER - ADDPM4944R) पुत्री श्री रामभरोसी मीणा जो मूल रूप से सनेट का पुरा श्रीमहावीर करौली का रहने वाला है व संदिग्ध अधिकारी का विवाह श्रीमती उमा देवी मीणा (PAN NUMBER - ADZPM3747L) से होना ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती उमा देवी गृहणी है।

संदिग्ध अधिकारी के दो पुत्र व दो पुत्रियां होना ज्ञात हुआ है। जिनके नाम अविनाश जगरवाल उम्र 32 साल, अजय जगरवाल उम्र 29 साल, नमिता जगरवाल उम्र 33 साल व शिखा

जगरवाल उम्र 31 साल है। संदिग्ध अधिकारी ने अपने चारों बच्चों की पढाई जयपुर, दिल्ली, बिकानेर, नोयडा यूपी व अन्य शहरों की विभिन्न महंगी शैक्षिक संस्थाओं(शोफिया स्कूल बिकानेर, महारानी गायत्री स्कूल जयपुर, इन्टरनेशनल कॉलेज जयपुर, जयपुर नेशनल युनिवर्सिटी जयपुर, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, ज्वाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली, सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय नोयडा उत्तरप्रदेश) में अत्यधिक धनराशि खर्च कर पढाई करवाना ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी की पुत्री नमिता जगरवाल का विवाह वर्ष 2013 में व शिखा जगरवाल का विवाह वर्ष 2022 में होना व विवाह में एक चौपहिया वाहन देना जानकारी में आया है। संदिग्ध अधिकारी के पुत्र अविनाश जगरवाल का विवाह होना भी जानकारी में आया है।

संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं व स्वयं की पत्नी श्रीमती उमा देवी मीणा के नाम से जयपुर, सनेट का पुरा, श्रीमहावीर करौली में विभिन्न परिसम्पतियां खरीद करना पाया गया है। विभागीय नियमों के अन्तर्गत सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के निकटतम परिवारजनों यथा पत्नी, माता, पुत्र एवं पुत्री के नाम से कोई परिसम्पति कय करता है तो उसकी सूचना संबंधित विभागाध्यक्ष को देनी होती है व राज्य के समस्त राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को अपनी चल अचल सम्पति का विवरण ऑनलाईन राजकाज सॉफ्टवेयर पर अपलॉड करना होता है, जो संदिग्ध अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा आचरण नियमों के विरूद्व ऐसा कार्य किया जा रहा है। उक्त कृत्य सदिग्ध अधिकारी के द्वारा भ्रष्टाचार से आय के ज्ञात श्रोतों से भिन्न श्रातों से अर्जित धन का दुरूपयोग का सटीक उदाहरण है।

संदिग्ध अधिकारी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 1990 में वाणिज्यक कर विभाग में कर सहायक के पद पर हुई थी। समय– समय पर विभागीय पदौन्नती के पश्चात वर्तमान में संदिग्ध अधिकारी वाणिज्यक कर विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत है। संदिग्ध अधिकारी का पदस्थापन जयपुर, अलवर, खैरथल, बीकानेर, श्रीगंगानगर व हनुमानगढ में रहना ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी की आम छवि भ्रष्ट अधिकारी की होना जानकारी में आया है। संदिग्ध अधिकारी की राजकीय सेवा में नियुक्ति से पूर्व पारिवारिक पृष्ठभूमि सामान्य होना तथा नियुक्ति के पश्चात अचानक रहन सहन का स्तर आय के वैध ज्ञात स्त्रोतो से उच्च स्तर का होना ज्ञात हुआ है।

संदिग्ध अधिकारी द्वारा अर्जित वैध आय, खर्च एवं अर्जित परिसम्पत्तियों का ब्यौरा निम्नलिखित है :–

परिशिष्ट "अ"

संदिग्ध अधिकारी श्री चौबेलाल मीणा पुत्र श्री रामभरोसी मीणा निवासी सनेट का पुरा हिन्डौन करौली हाल सी–37 मदर टेरेसा नगर जगतपुरा जयपुर हाल उपायुक्त, विदेश मंत्रालय और कर अनुपालन – II (मुख्यालय), जयपुर की चैक पिरियड वर्ष 1990 से पूर्व अर्जित परिसम्पत्तियां:–

क्र सं.	परिसम्पत्ति का विवरण	परिसम्पत्ति का मूल्य
1	शून्य	शून्य

परिशिष्ट "ब"

संदिग्ध अधिकारी श्री चौबेलाल मीणा पुत्र श्री रामभरोसी मीणा निवासी सनेट का पुरा हिन्डौन करौली हाल सी–37 मदर टेरेसा नगर जगतपुरा जयपुर हाल उपायुक्त, विदेश मंत्रालय और कर अनुपालन – II (मुख्यालय), जयपुर की चैक पिरियड वर्ष 1990 से अब तक अर्जित परिसम्पत्तियां:–

क्र सं.	परिसम्पत्ति का विवरण	परिसम्पत्ति का मूल्य
1	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती उमा देवी के नाम एक भूखण्ड सी–38 मदर टेरेसा नगर जगतपुरा जयपुर वर्ष 2021 में खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त परिसम्पत्ति को 34,51,800/रूपये में कय करना अनुमानति हैं।	34,51,800/रूपये
2	संदिग्ध अधिकारी के नाम एक भूखण्ड 5/एमए/35 इन्द्रा गांधी नगर जगतपुरा जयपुर (साईज–16X6.10=97.10 वर्गमीटर) वर्ष 2013 में 7,00,800/रूपये में, एक भूखण्ड 5/एमए/36 इन्द्रा गांधी नगर जगतपुरा जयपुर (साईज–16X6=96 वर्गमीटर) वर्ष 2013 में 6,26,580/रूपये में, एक भूखण्ड 5/एमए/68 इन्द्रा गांधी नगर	1,35,42,280/रूपये

	जगतपुरा जयपुर (साईज–16X6.10=97.10 वर्गमीटर) वर्ष 2013 में 7,74,900/रूपये में कुल 21,02,280 रूपये में खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त तीनों भूखण्ड आपस में जुडें हुए हैं व उक्त तीनों भूखण्डों पर संयुक्त रूप से एक तीन मंजीला भवन(भूतल सहित) का निर्माण करना ज्ञात हुआ है, तथा प्लॉट नम्बर 35 व 36 के आधे आधे हिस्सों को जोडकर तृतीय तल पर चतुर्थ तल का निर्माण करना ज्ञात हुआ है। (उक्त भूखण्डों पर वर्ष 2018 में निर्माण के साथ विधुत कनेक्सन लिया गया है।) उक्त बहु मंजीला भवन के तीन तरफ प्रत्येक तल पर तीन–तीन फुट छजा बाहर निकालते हुए निर्माण करना भी ज्ञात हुआ है। उक्त बहु मंजीला भवन के निमार्ण करने में करीब 1,14,40,000/रूपये का व्यय करना अनुमानित है। इस प्रकार उक्त परिसम्पत्ति को क्रय करने व भवन निर्माण करने में कुल 1,35,42,280/रूपये व्यय करने का अनुमान है	
3	संदिग्ध अधिकारी के नाम एक भूखण्ड संख्या 3(पश्चित हिस्सा) बृजपूरी योजना ग्राम बृजविहार जगतपुरा जयपुर वर्ष 2008 में खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त प्लॉट में संदिग्ध अधिकारी को 1/2 हिस्सा होना ज्ञात हुआ है। उक्त प्लॉट को खरीदने करने व रजिस्ट्री व अन्य खर्च के रूप में कुल 3,05,650/रूपये व्यय करना अनुमानित है।	3,05,650/रूपये
4	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी के नाम एक प्लॉट खसरा नम्बर 150/1 में से 340 वर्गफुट बनबारीपुर हिन्डोन करौली में खरीद करना ज्ञात हुआ है उक्त प्लॉट को खरीद करने व रजिस्ट्री तथा अन्य खर्च के रूप में कुल 14,120/रूपये व्यय का अनुमान है।	14,120/रूपये
5	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी के नाम एक प्लॉट खसरा नम्बर 150/1 में से 1560 वर्गफुट बनबारीपुर हिन्डोन करौली में खरीद करना ज्ञात हुआ है उक्त प्लॉट को खरीद करने व रजिस्ट्री तथा अन्य खर्च के रूप में कुल 32,050/रूपये व्यय का अनुमान है।	32,050/रूपये
6	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी के नाम सनेट का पुरा हिन्डोन करौली में कृषि भूमि खसरा नम्बर 155,156,157,158 RAK. 121 AIRE KA 1/2 PART खरीद करना ज्ञात हुआ है उक्त भूमि को खरीद करने में 86,620/रूपये व्यय करने का अनुमान है।	86,620/रूपये
7	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी के नाम सनेट का पुरा हिन्डोन करौली में कृषि भूमि खसरा नम्बर 93,94,95,96 KULKITA 4 KULRAK. 116 AIRE KA 1/2 PART खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त भूमि को खरीद करने में 2,34,620/रूपये व्यय करने का अनुमान है।	2,34,620/रूपये
8	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी के नाम एक दुकान श्रीमहावीर करौली में वर्ष 2004 में 15,000/रूपये में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	15,000/रूपये
9	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी के नाम एक आवासीय प्लॉट श्रीमहावीर करौली में वर्ष 2004 में 34,000/रूपये में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	34,000/रूपये
10	संदिग्ध अधिकारी के नाम एक होण्डा एक्टीवा न0 आरजे 14 बीके 9019 वर्ष 2016 में 50,000/रूपये व्यय कर खरीद करना अनुमानित है।	50,000/रूपये
11	संदिग्ध अधिकारी के नाम एक हुण्डई वर्ना कार नम्बर आरजे 45 सीएल 9019 वर्ष 2019 में 12,40,000/रूपये व्यय कर खरीद करना अनुमानित है। उक्त वाहन को खरीद करने में एक्सीस बैंक से	6,52,000/रूपये

.	6,00,000/रूपये लोन लेना ज्ञात हुआ है उक्त लोन पेटे मासिक किश्तो के रूप में 6,12,048/रूपये बैंक में जमा करवाना ज्ञात हुआ है। इस प्रकार उक्त वाहन को खरीद करने में 6,52,000/रूपये व्यय करना अनुमानित है।	
12	संदिग्ध अधिकारी के नाम एसबीआई बैंक शाखा ज्वाहर सर्किल जयपुर में बचत खाता संख्या 51030755649 होना ज्ञात हुआ है। उक्त खाते में वर्तमान में 1,26,102 रूपये शेष होना अनुमानित है।	1,26,102 रूपये
13	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती उमा देवी मीणा के नाम एसबीआई बैंक शाखा ज्वाहर सर्किल जयपुर में बचत खाता संख्या 51030773033 होना ज्ञात हुआ है। उक्त खाते में वर्तमान में 1,45,661 रूपये शेष होना अनुमानित है।	1,45,661 रूपये
14	संदिग्ध अधिकारी के नाम पंजाब नेशनल बैंक शाखा शिवानन्द मार्ग मालवीय नगर जयपुर में बचत खाता संख्या 3592000400108431 होना ज्ञात हुआ है। उक्त खाते में वर्तमान में 58,303/रूपये शेष होना अनुमानित है।	58,303/रूपये
15	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती उमा देवी मीणा के नाम पंजाब नेशनल बैंक शाखा हिन्डौन सिटी करौली में बचत खाता संख्या 06252191004662 होना ज्ञात हुआ हैं। उक्त खाते में वर्तमान में 11,244/रूपये शेष होना अनुमानित है।	11,244/रूपये
कुल		**1,87,59,450/रूपये**

परिशिष्ट "स"

संदिग्ध अधिकारी श्री चौबेलाल मीणा पुत्र श्री रामभरोसी मीणा निवासी सनेट का पुरा हिन्डौन करौली हाल सी–37 मदर टेरेसा नगर जगतपुरा जयपुर हाल उपायुक्त, विदेश मंत्रालय और कर अनुपालन – II (मुख्यालय), जयपुर की चैक पिरियड वर्ष 1990 से अब तक प्राप्त आय:–

क्र सं.	परिसम्पत्ति का विवरण	परिसम्पत्ति का मूल्य
1	संदिग्ध अधिकारी द्वारा चैक पिरियड में आयकर कटौती के पश्चात शेष शुद्व आय 1,11,02,000/रूपये अनुमानित है।	1,11,02,000/रूपये
2	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती उमा देवी के द्वारा अपने आयकर रिटर्न में वर्ष 2013–14 से 2022–23 तक अपनी आय दर्शा रखी है, जिसके अनुसार शुद्व आय 24,29,600/रूपये अनुमानित है।	24,29,600/रूपये
3	संदिग्ध अधिकारी ने एक भूखण्ड संख्या 2 श्रीराम विहार नजदीक सरस्वती नगर इन्द्रा सर्किल मालवीय नगर जयपुर वर्ष 2008 में 11,78,500/रूपये व्यय कर खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त प्लॉट को संदिग्ध अधिकारी ने वर्ष 2013 में 20,01,000/रूपये में विक्रय करना ज्ञात हुआ है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी को उक्त भूखण्ड को विक्रय करने पर 8,22,500/रूपये आय होने का अनुमान है।	8,22,500/रूपये
4.	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती उमा देवी के नाम एक भूखण्ड 5/एमए/4 इन्द्रा गांधी नगर जगतपुरा जयपुर जनवरी 2008 में 2,03,000/रूपये में खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त प्लॉट को संदिग्ध अधिकारी ने दिसम्बर 2008 में 6,00,000/रूपये में विक्रय करना ज्ञात हुआ है उक्त प्लॉट को विक्रय करने में 3,96,600/रूपये की आय होने का अनुमान है।	3,96,600/रूपये
योग		**1,47,50,700/रूपये**

परिशिष्ट "द"

संदिग्ध अधिकारी श्री चौबेलाल मीणा पुत्र श्री रामभरोसी मीणा निवासी सनेट का पुरा हिन्डौन करौली हाल सी–37 मदर टेरेसा नगर जगतपुरा जयपुर हाल उपायुक्त, विदेश मंत्रालय और कर अनुपालन – II (मुख्यालय), जयपुर की चैक पिरियड वर्ष 1990 से अब तक किया गया व्यय:–

क्र. सं.	परिसम्पत्ति का विवरण	परिसम्पत्ति का मूल्य
1	संदिग्ध अधिकारी द्वारा चैक पिरियड वर्ष 1990 से अब तक कुल आय का रसोई एवं असत्यापनिक पर नियमानुसार 37,00,666/रूपये व्यय करने का अनुमान है।	37,00,666/रूपये
2	संदिग्ध अधिकारी के दो पुत्र व दो पुत्रियां होना ज्ञात हुआ है। जिनके नाम अविनाश जगरवाल उम्र 32 साल, अजय जगरवाल उम्र 29 साल, नमिता जगरवाल उम्र 33 साल व शिखा जगरवाल उम्र 31 साल होना ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी ने अपने चारों बच्चों की पढाई जयपुर, दिल्ली, बिकानेर, नोयडा यूपी व अन्य शहरों की विभिन्न महंगी शैक्षिक संस्थाओं(शोफिया स्कूल बिकानेर, महारानी गायत्री स्कूल जयपुर, इन्टरनेशनल कॉलेज जयपुर, जयपुर नेशनल युनिवर्सिटी जयपुर, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, ज्वाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली, सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय नोयडा उत्तरप्रदेश) में अत्यधिक धनराशि खर्च कर पढाई करवाना ज्ञात हुआ है। उक्त स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालयों में संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने चारों बच्चों पर पढाई करने में 37,50,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है।	37,50,000/रूपये
3	संदिग्ध अधिकारी की पुत्री नमिता जगरवाल का विवाह वर्ष 2013 में होना ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पुत्री नमिता जगरवाल की शादी में 15,00,000/रूपये का खर्च करने का अनुमान है।	15,00,000/रूपये
4	संदिग्ध अधिकारी की पुत्री शिखा जगरवाल का विवाह वर्ष 2022 में होना ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी ने अपनी पुत्री शिखा जगरवाल की शादी में 25,00,000/रूपये का खर्च करने का अनुमान है।	25,00,000/रूपये
5	संदिग्ध अधिकारी के पुत्र अविनाश जगरवाल का विवाह होना ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी ने अपने पुत्र अविनाश जगरवाल की शादी में 15,00,000/रूपये का खर्च करने का अनुमान है।	15,00,000/रूपये
6	संदिग्ध अधिकारी व उसके परिजनों द्वारा चैक पिरियड में उपयोग में लिये गये वाहनों के रखरखाव, ईंधन, मेन्टेनेन्स, बिमा आदि पर अनुमानित व्यय 2,20,000/रूपये	2,20,000/रूपये
योग		**1,31,70,666/रूपये**

संदिग्ध अधिकारी श्री चौबेलाल मीणा द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 1990 से पहले अर्जित परिसम्पतियों का उल्लेख परिशिष्ट "अ" मे दर्शाया गया है, जो शून्य है।

संदिग्ध अधिकारी श्री चौबेलाल मीणा द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 1990 से अब तक अर्जित परिसम्पतियों का उल्लेख परिशिष्ट "ब" मे दर्शाया गया है, जिसके अनुसार संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं व स्वयं की पत्नी के नाम अर्जित परिसम्पत्तियों का कुल मुल्य **1,87,59,450/रूपये** अनुमानति है।

संदिग्ध अधिकारी श्री चौबेलाल मीणा द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 1990 से अब तक अर्जित आय का उल्लेख परिशिष्ट "स" मे दर्शाया गया है, जिसके अनुसार संदिग्ध अधिकारी की आयकर कटौती उपरान्त शुद्ध आय 1,11,02,000/रूपये रही है। इसके अतिरिक्त संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती उमा देवी मीणा एक गृहणी के रूप में रहते हुए अपने आयकर रिटर्न में वर्ष 2013-14 से अब तक विभिन्न स्त्रोतों से अपनी आय दर्शा रखी है, जिसके अनुसार कुल आय 24,29,600/रूपये है। इसके अतिरिक्त संदिग्ध अधिकारी द्वारा एक भूखण्ड संख्या 2 श्रीराम विहार नजदीक सरस्वती नगर इन्द्रा

सर्किल मालवीय नगर जयपुर को क्रय करने के पश्चात विक्रय करने पर 8,22,500/रूपये आय होने का अनुमान है व एक भूखण्ड 5/एमए/4 इन्द्रा गांधी नगर जगतपुरा जयपुर को क्रय कर विक्रय करने पर 3,96,600/रूपये की आय होने का अनुमान है। अतः प्रपत्र "स" के अनुसार संदिग्ध अधिकारी व उसके पति की ज्ञात श्रोतों से कुल वैध आय लगभग 1,11,02,000+ 24,29,600+8,22,500+3,96,600 **= 1,47,50,700/रूपये/** रूपये का अनुमान है।

संदिग्ध अधिकारी श्री चौबेलाल मीणा द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 1990 से अब तक किये गये व्यय का उल्लेख परिशिष्ट "द" मे दर्शाया गया है, जिसके अनुसार कुल 1,31,70,666/रूपये व्यय करने का अनुमान है।

संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती उमा देवी के नाम सानेट का पुरा हिन्डोन करौली में कृषि भूमि खसरा नम्बर 89,91 व 90, 1255/92 व 24,304,87,88 खरीद करना भी ज्ञात हुआ है।

संदिग्ध अधिकारी के ससूर श्री मूलाराम मीणा पुत्र श्री हरभजन मीणा निवासी जयपुर ने आनन्द भवन गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 की योजना/कालॉनी मदर टेरेसा नगर में भूखण्ड संख्या सी–37 क्षेत्रफल 294.62 वर्गगज क्रय किया, जिसमें बेसमेन्ट, भूतल, प्रथम तल निर्माण करवाने के बाद इस भूखण्ड को दिनांक 24.11.2021 को जरिये वसीयत अपनी पुत्री श्रीमती उमा देवी मीणा पत्नी श्री चौबेलाल मीणा निवासी ग्राम सनेट का पुरा तहसील हिन्डौन सिटी जिला करौली को हस्तान्तरिक कर दिया। यह भूखण्ड संदिग्ध अधिकारी की बेनामी सम्पति होना जानकारी में आया है। यह वस्तुस्थिति अनुसंधान से स्पष्ट होने पर संदिग्ध अधिकारी की बेनामी सम्पति में सम्मलित किया जा सकता है। चूंकि संदिग्ध अधिकारी के ससूर की आर्थिक हैसियत इतनी नहीं है कि वह करीब एक करोड की सम्पत्ति को अपने पुत्रों व अन्य पुत्रियों को छोडकर एक ऐसी पुत्री को वसीयत कर दे जो पूर्व से आर्थिक व सामाजिक रूप से सुदृढ है। इस प्रकार योजनाबद्व तरीके से उक्त सम्पत्ति को बेनामी के रूप में क्रय कर वसीयत में प्राप्त करना जानकारी में आया है।

संदिग्ध अधिकारी के भाई लक्ष्मी नारायण मीणा निवासी सनेट का पुरा हिन्डौन सिटी करौली ने भूखण्ड संख्या 39 व 40 मदर टेरेसा नगर जयपुर को संदिग्ध अधिकारी के पुत्र श्री अजय जगरवाल को दिनांक 30.05.2014 को जरिये गिफ्ट डीड हस्तांतरित किये हैं। जबकि लक्ष्मीनारायण की हैसियत नहीं है कि वह करोडों की सम्पत्ति को अपने परिवार के हितों को नजरअंदाज कर अपने भाई के बच्चे को गिफ्ट करे। गोपनीय रूप से जानकारी मिली है कि संदिग्ध अधिकारी योजनाबद्व तरीके से उक्त सम्पत्ति अपनी स्वयं की धनराशि से अपने भाई लक्ष्मीनारायण के नाम से क्रय कर अपने पुत्र अजय जगरवाल को गिफ्ट के रूप में वापस प्राप्त की ताकि संदिग्ध अधिकारी वैध ज्ञात श्रोतों से भिन्न श्रोतों से अर्जित आय से अधिक सम्पत्ति के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में निर्धारित उत्तरदायित्व से बच सके। कोई भी स्वस्थ चित्त का व्यक्ति यह कल्पना कर सकता है, कि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होने पर अपनी सम्पत्ति की गिफ्ट अपने परिवार के हितबद्व व्यक्तियों को छोडकर अन्य को गिफ्ट नही कर सकता। इन तथ्यों को अनुसंधान में स्थापित किया जा सकता है।

संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती उमा देवी के नाम एक आवासीय मकान सी–37 मदर टेरेसा नगर जगतपुरा जयपुर में वर्तमान में संदिग्ध अधिकारी परिवार सहित निवास करना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।

इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी श्री चौबेलाल मीणा पुत्र श्री रामभरोसी मीणा निवासी सनेट का पुरा हिन्डौन करौली हाल सी–37 मदर टेरेसा नगर जगतपुरा जयपुर हाल उपायुक्त, विदेश मंत्रालय और कर अनुपालन – II (मुख्यालय), जयपुर की चैक पिरियड वर्ष 1990 से अब तक के ज्ञात स्त्रोतो से प्राप्त संदिग्ध अधिकारी की आय 1,47,50,700/रूपये होकर अर्जित सम्पति का मूल्य 1,87,59,450/रूपये एवं व्यय राशि 1,31,70,666/रूपये पाई गई है। अतः सम्पति तथा व्यय राशि का जोड 3,19,30,116/रूपये में से उपरोक्त आय 1,47,50,700/रूपये को घटाने पर **1,71,79,416/रूपये की परिसम्पतियां वैध आय के ज्ञात श्रोत से अधिक** अर्जित किया जाना गोपनीय सत्यापन से पाया गया है, जो आय से लगभग **116 प्रतिशत** अधिक है।

संदिग्ध अधिकारी के निम्न ठिकानों **(1)** सी–37 मदर टेरेसा नगर जगतपुरा जयपुर **(2)** मकान नम्बर 5/एमए/35, 5/एमए/36 व 5/एमए/68 इन्द्रा गांधी नगर जगतपुरा जयपुर (3) संदिग्ध अधिकारी का निवास स्थान ग्राम सनेट का पुरा तह0 श्री महावीरजी जिला करौली (4) संदिग्ध अधिकारी का कार्यालय उपायुक्त, विदेश मंत्रालय और कर अनुपालन– II (मुख्यालय), (कमरा न0 404बी/307) कर भवन, जयपुर व अन्य की यदि तलाशी ली जाती है तो कई मूल्यवान परिसम्पत्तियों के दस्तावेज, नकदी, एफ.डी.आर, बैंक लॉकर्स, एन.एस.सी स्वर्ण आभूषण एवं अन्य मूल्यवान परिसम्पत्तियां मिलने की सम्भावना है।

अतः संदिग्ध अधिकारी 1. श्री चौबेलाल मीणा पुत्र श्री रामभरोसी मीणा निवासी सनेट का पुरा हिन्डौन करौली हाल सी–37 मदर टेरेसा नगर जगतपुरा जयपुर हाल उपायुक्त, विदेश मंत्रालय और कर अनुपालन – II (मुख्यालय), जयपुर एवं 2. श्रीमती उमा देवी मीणा पत्नी श्री चौबेलाल मीणा के विरूद्ध वैध आय के ज्ञात श्रोत से अधिक परिसम्पत्तियां अर्जित करने का कृत्य अन्तर्गत धारा **13(1)(ई) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 एवं धारा 12, 13(1)(बी) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट (संशोधित) 2018** के तहत अपराध घटित होना पाया जाता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

पुलिस निरीक्षक 5/7/23
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
इन्टे0 जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे. जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 एवं धारा 12, 13(1)(बी) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट (संशोधित) 2018 में वर्णित अपराध घटित होना पाया जाने से अभियुक्त 1. श्री चौबेलाल मीणा पुत्र श्री रामभरोसी मीणा निवासी सनेट का पुरा हिन्डौन करौली हाल सी–37 मदर टेरेसा नगर जगतपुरा जयपुर हाल उपायुक्त, विदेश मंत्रालय और कर अनुपालन – II (मुख्यालय), जयपुर एवं 2. श्रीमती उमा देवी मीणा पत्नी श्री चौबेलाल मीणा के विरूद्ध अपराध संख्या 174/**2023** उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियां एफ.आई.आर. नियमानुसार कता कर जारी की गई।

(रणधीर सिंह)
उपमहानिरीक्षक पुलिस–मुख्यालय
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राज0 जयपुर

क्रमांक :–2205–11 दिनांक :– 05–07–2023

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. माननीय विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामलात, क्रम संख्या–1 जयपुर
2. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज0 जयपुर
3. श्रीमान मुख्य आयुक्त वाणिज्यक कर विभाग, कर भवन जयपुर, राजस्थान
4. श्रीमान उपमहानिरीक्षक पुलिस (मुख्यालय), भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो विशेष अनुसंधान ईकाई जयपुर

उपमहानिरीक्षक पुलिस–मुख्यालय
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राज0 जयपुर